न्यायालय तहसीलदार, बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 64/24 निर्णय दिनांक 22/8/24

सरकार जरिये बनाम श्री मदनलाल पि० गोपी रेगर

पटवार हल्का जयनगर निवासी पिपली 2951

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

## निर्णय

पत्रावली आज मुकाम बेगूँ पर पेश हुई। संक्षिप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जयनगर ने इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि श्री मदनलाल पि० गोपी रेगर ने तहसील बेगूँ के ग्राम पीपली 2951 में स्थित आराजी नम्बर 674/70 रकबा 0.5150 किस्म बिलानाम बारानी 5 पर दोरान सम्वत् 2081 खरीफ में अनाधीकृत रूप से भूमि को मक्का मुंगफली फसल काश्त अतिक्रमण किया है।

उक्त आशय की रिपोर्ट पेश होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस अन्तर्गत धारा 91(3) एवं धारा 91(6) एल.आर.एक्ट में जारी किया जो विधिवत रूप से तामील करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अतिक्रमी ने उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य में अतिक्रमित क्षेत्र अतिक्रमी के नाम नियमन योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अतिक्रमी को ग्राम पीपली 2951 में स्थित खसरा नम्बर 674/70 रकबा 0.5150 किस्म बारानी 5 बिलानाम भूमि से बेदखली का निर्णय पारित किया जाता है। जुर्माना लगान 3.00 रू. का 50 गुणा राशि 150/- रूपये आरोपित किये जाते है। जो वसूल हो।

निर्णय बमुकाम लिखाया जाकर सुनाया गया।

पालनार्थ पटवारी एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

तहसीलदार
बेगूँ, जिला चित्तौड़गढ़

तहसीलदार
बेगूँ